न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः पर्वतसिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः 24/2019
उनवान मुकदमा

श्री वरसेंग पिता देवा भील, निवासी गाऊवापाडा, ग्राम पंचायत सुरवानिया तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती शालिनी पत्नी स्व. हेरिसन, जाति क्रिश्चन (ईसाइ) निवासी मन्दसौर, हाल–मकान नम्बर 1 जे, –13, हाऊसिंग बोर्ड, बांसवाड़ा तहसील व जिला बांसवाड़ा।
2. सरपंच ग्राम पंचायत सुरवानिया तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

रेस्पोडेन्ट्स

अपील बाबत अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम

अपीलान्ट अधिवक्ता : श्री शाहबास खान, श्री अजीत सिंह चौहान, श्री अब्दुल अजीज खान,
रेस्पोडेन्टस् संख्या 1 अधिवक्ता : श्री जाकीर गौरी, श्री मोतीचन्द गौड, श्री साजिद हुसैन,
रेस्पोडेन्टस् संख्या 2–सरपंच ग्राम पंचायत सुरवानिया तहसील व जिला बांसवाड़ा

आदेश

दिनांक :–29–07–2021

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम अधिनियम में दिनांक 16.10.2019 को प्रस्तुत किया है। अपील में बताया कि अपीलान्ट के आधिपत्य एवं स्वामित्व के कृषि भूमि खाता संख्या 39 नयी और 35 पुरानी वाके गांव गाऊवापाडा, पटवार हल्का सुरवानिया में स्थित है जिसके आराजी सर्वे नम्बर 3, 4, 5 कूल रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा है, रेस्पोडन्ट संख्या 1 ने विधि विरूद्ध दस्तावेजों के आधार पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 106 दिनांक 06.08.2018 को समस्त खाता अपने नाम दर्ज करवा लिया है। उक्त नामान्तरकरण ग्राम पंचायत सुरवानिया द्वारा दिनांक 06.08.2018 को किया है और नामान्तरकरण दर्ज कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया साथ ही निवेदन किया की पटवारी हल्का ने रिपोर्ट में उपरोक्त कृषि भूमि की स्थिति एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में कोई भी अंकन नहीं किया, और जल्दबादी में अवैध तरीके से नामान्तकरण अंकित कर दिया क्योंकि विक्रय पत्र दिनांक 16.07.2003 का होना बताया गया है। और पटवारी हल्का ने शीघ्रता से 20 दिनों में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम नामान्तकरण कर दिया है और नामान्तरकरण की प्रक्रिया में अपीलान्ट को कोई जानकारी अथवा नोटिस नहीं दिया गया है तथा गोपनीय कार्यवाही कर नामान्तरकरण कर दिया। जिस पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर नामान्तकरण खोलना अंकित किया गया है वह पंजीकृत दस्तावेज कूटरचित दस्तावेज है तथा वह अपीलान्ट की जानकारी में नही है, उपरोक्त खेतों पर अपीलान्ट का वास्तविक कब्जा है और यदि यह मान भी लिया जावे कि पंजीकृत दस्तावेज है परन्तु आज दिन तक उपरोक्त खेतों पर अपीलान्ट ही खेती कर रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 न तो कभी खेतों [illegible] है और न ही उसने खेत देखें है। अपीलान्ट ही उक्त खेतों पर खे[illegible] में लगान भी अपीलान्ट ही अदा करता चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट 1 [illegible] खेतों का कोई कब्जा नहीं दिया है, जो कि जांच करवाने पर स्पष्ट हो [illegible] रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जाति [illegible] क्रिश्चियन (ईसाई) है और अपीलान्ट आदिवासी है, यह खाते से स्पष्ट है कि क्योंकि खाते में अपीलान्ट की जाति भील लिखी है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 मूल रूप से मन्दसौर (म.प्र.) की

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.08.06 17:46:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

निवासी है, उसके माता–पिता क्रिश्चियन है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्वयं भी क्रिश्चिन है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 हर रविवार को चर्च में जाकर आराधना भी करती है, यदि शरणास्थल चर्च में जाकर जांच करवायी जाये तो यह भी स्पष्ट हो जायेगा। जन्म–जात क्रिश्चियन है, वह आदिवासी नहीं है। वह गिरजाघर में जाती है तथा ईसाईया के सभी त्यौहार मनाती है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 न तो कभी होली मनाती है और न ही कभी दिवाली। उसने भील जाति द्वारा मनाये जाने वाले त्यौहारों को भी कभी नहीं मनाया। यदि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की जाति–भील होती तो वह भीलों द्वारा मनाये जाने वाले सभी त्यौहारों को उत्साहपूर्वक मनाती। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वास्तव में ईसाई है और वह भील बनकर आदिवासियों की जमीन को अपने नाम करवाती है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 न तो कभी गांव में रहती है न ही कभी आदिवासी रीति–रिवाजों से त्यौहार मनाती है, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की एक पुत्री शैलबाला है जिसका विवाह भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने क्रिश्चियन पद्धति के अनुसार करवाया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने आदिवासी भील समाज के रीति–रिवाजों के अनुसार अपनी पुत्री का विवाह नहीं करवाया है और इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 धोखा देकर आदिवासी बनकर अपीलान्ट, जो कि आदिवासी है उसकी भूमि हड़पने की चेष्ठा की है। अपीलान्ट आदिवासी होकर भगत है, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रमाणित ईसाइ और धोखाधड़ी कर पंजीकृत दस्तावेज कराया है, जो दस्तावेज आरम्भ से ही शून्य होकर निष्प्रभावी है। नामान्तकरण पंजिका में पटवारी हल्का ने श्रीमती शालिनी पत्नी हेरिसन भील अंकित किया है, जिसका कोई आधार नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने आप को भील बताकर जो दस्तावेज विक्रय पत्र अपने नाम करवाया है वह विक्रय पत्र आरम्भ से ही शून्य (Void) है कि क्योंकि धारा–42ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत उक्त दस्तावेज आरम्भ से ही शून्य होकर निष्प्रभावी है और ऐसे दस्तावेज के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सरपंच ग्राम पंचायत सुरवानिया द्वारा अपीलान्ट को सूचना दिये बगैर नामान्तरकरण नहीं खोलना था। भील लिख देने मात्र से जाति प्रमाणित नहीं होती। जाति या तो खसरा खतौनी में लिखी जानी चाहिये अथवा किसी अन्य दस्तावेज के आधार पर प्रमाणित होनी चाहिये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 शालिनी के नाम एवं उसके पति हेरिसन के नाम से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्रीमती शालिनी आदिवासी नहीं है रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व उसके पति के जो नाम अंकित है वह क्रिश्चियन नाम है, आदिवासियों में इस प्रकार के नाम नहीं रखे जाते है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने बिना किसी कार्यवाही के पटवारी हल्का के अंकन के आधार पर नामान्तकरण किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने यह अंकित किया है कि पढ कर सुनाया, किन्तु अपीलान्ट की उपस्थिति अंकित नही है, उक्त अंकन में यह भी स्पष्ट नहीं है कि वक्त कार्यवाही अपीलान्ट उपस्थित था अथवा नहीं, वास्तव में अपीलान्ट को उक्त कार्यवाही की कोई जानकारी नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 एवं अपीलान्ट गांव के रहने वाले है तथा पटवारी हल्का ने भी कब्जे के बारे में नामान्तकरण पंजिका में कोई अंकन नहीं किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सरपंच ग्राम पंचायत सुरवानिया ने तहसीलदार बांसवाड़ा के अधिकारों का उपयोग कर नामान्तकरण अवश्य किया है परन्तु राजस्व नियमों की अवहेलना कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम विधि–विरूद्ध तरीकों से नामान्तकरण किया गया है, जिसे अपास्त किये जाने की प्रार्थना है। अपीलान्ट का उपरोक्त खेतों पर लम्बे समय से आधिपत्य है, लगातार अपीलान्ट ही उक्त खेतों पर खेती करता चला आ रहा है तथा राजस्व में लगान भी अपीलान्ट ही भरता चला आ रहा है। अपीलान्ट को दिनांक 16.09.2019 से पूर्व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम [illegible]रण होने के जानकारी नही थी। दिनांक 16.09.2019 को उक्त नाम[illegible] की [illegible] बारे जानकारी अपीलान्ट को तब हुई जब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 [illegible] व्यक्तियों को साथ लाकर जबरन खेतों में आने की कोशिश की तथा विवाद [illegible]या। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट से यह कहा कि वह रेस्पोडेन्ट संख्या 1 खेतों की मालिक है और उसके नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.08.06 17:46:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

नामान्तकरण हो गया है, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट को यह भी कहा कि खेत छोड़कर भाग जाओं नही तो कार्यवाही की जायेगी तभी अपीलान्ट को ज्ञात हुआ कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम अपीलान्ट की समस्त कृषि भूमि का नामान्तकरण हुआ है, अपीलान्ट ने दिनांक 17.09.2019 को तहसील कार्यालय में पंहुच कर उक्त नामान्तकरण की नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा दिनांक 25.09.2019 को नकल प्राप्त हुई। नकल प्राप्ति की तिथि से अपील अन्दर मियाद है तथा पृथक से धारा–5 मर्यादा अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 आवश्यक पक्षकार है इसलिये उसे प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है। अपीलान्ट ने निवेदन किया की अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर सरपंच ग्राम पंचायत सुरवानिया द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किया गया नामान्तकरण संख्या 106 दिनांक 06.08.2003 अपास्त किये जाने की आज्ञा फरमावे।

फर्द दस्तावेज में ग्राम गाउवापाडा पटवार हल्का सुरवानिया का नामान्तकरण संख्या 106 दिनांक 06.08.2003 की सत्य प्रति प्रस्तुत की है।

दिनांक 18.10.2019 को अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्रीमती शालिनी ने दिनांक 29.07.2020 को जवाब पेश किया जिसमें बताया कि अपील की चरण संख्या 1 उन्हे अस्वीकार है, वस्तुस्थिति यह है कि खाता संख्या 39 नयी और 35 पुरानी वाके गांव गाऊवापाडा पटवार हल्का सुरवानिया में स्थित है। जिसके आराजी सर्वे नम्बर 3, 4 व 5 होकर कुल रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा है, का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दिनांक 16.07.2003 के द्वारा विधिवत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से किमतन क्रय कर कब्जा प्राप्त किया एवं विक्रय दिनांक से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कब्जा मौजूद है जिसका विधिवत नामान्तकरण संख्या 106 दिनांक 16.08.2003 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज रेकार्ड किया गया जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का विधि अनुकुल खाता व कब्जा काश्त है एवं वर्तमान में भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की कब्जा काश्त है ऐसी स्थिति में विधि अनुकूल खाते को जरिये नामान्तकरण सम्पूर्ण जांच व कार्यवाही के बाद खोला है जिसे अपील से निर्धारित नही किया जा सकता है क्योंकि, इसमें विधि बिन्दु है क्योंकि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्ती के अधिकार सिविल न्यायालय को है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील क्षैत्राधिकार के बाहर होने के कारण कानुनन मेन्टेनेबल नहीं होकर काबीले निरस्ती के है। उक्त चरण में अपीलान्ट ने नामान्तरकरण संख्या 106 दिनांक 06.08. 2018 को खोला जाना मिथ्या कथन किया है जबकि, नामान्तकरण दिनांक 16.08.2003 को विक्रय पत्र के निष्पादन के तुरंत बाद जांच व कार्यवाही के खोला गया है ऐसी स्थिति में इतने लम्बे अंतराल यानि 17 वर्षो बाद नामान्तकरण की अपील मियाद बाहर होकर प्रारम्भिक स्तर पर ही काबील निरस्ती के है। अपील की चरण संख्या 2 अस्वीकार है। वस्तुस्थिति यह है कि, नामान्तकरण ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 06.08.2003 को बाद जांच व विधि अनुकूल कार्यवाही के खोला गया है जिसमें अपीलाण्ट विक्रेता की उपस्थिति की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के पृष्ट संख्या 5 में क्रेता को भी हक होगा कि वह इस विक्रय पत्र के द्वारा विक्रय की गयी कृषि भूमि का नामान्तकरण अपने नाम से करवा कर प्रथम पक्षकार विक्रेता नाम खारिज करवा देवे तो उसमे प्रथमपक्ष विक्रेता या उनके वारिसान का उजर काबील समायत नही होगा। अंकित किया है। ऐसी स्थिति में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की स्थिति में बिना किसी उज्र व आपत्ति के नामान्तरकरण खोलने में कोई कानूनी बाधा नहीं है एवं उक्त नामान्तरकरण में समस्त विधिक प्रावधानों व कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए उक्त नामान्तरकरण [illegible] गया है जिसमें कोई जल्दबाजी नही की गई है न ही इस कार्यावाही में अपीलान्ट को कोई नोटिस देने की आवश्यकता है क्योंकि, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र नामान्तकरण का आधार है जिसे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है ऐसी स्थिति में नामान्तकरण के विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए बाद विधिक

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.08.06 17:46:13 IST
Reason: SelfAttested

कार्यवाही के नामान्तरकरण खोला गया है ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट विधि विरूद्ध होकर काबील निरस्ती के है। अपील की चरण संख्या 3 को भी अस्वीकार किया तथा कथन किया की वस्तुस्थिति यह है कि, उक्त नामान्तरकरण पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर खोला गया है ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेज कूटरचित नही हो सकता क्योंकि, कूटरचित होता तो अपराध की सीमा में आता एवं जिसकी फौजदारी कार्यवाही होती जो अपीलान्ट अमल में नहीं लाया साथ ही कूटरचना के संबध में अपीलान्ट ने कोई एफआईआर दी हो एवं उस पर कोई कार्यवाही हुई हो ऐसी कोई साक्ष्य अपीलान्ट ने पेश नहीं की है व कूटरचित दस्तावेज को निरस्ती के अधिकार सिविल न्यायालय को है जिस कारण अपील अपीलान्ट क्षैत्राधिकार के बाहर होने से काबील निरस्ती के है। मौके पर आज भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कब्जा है एवं वर्तमान में भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की कब्जा काश्त मौजूद है जो रेवेन्यू रेकार्ड से पुष्टि होती है। अपीलान्ट अपील लेकर आया है जिसे सिद्ध करने का भार अपीलान्ट का है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का यह कथन कि, जांच कराई जावे क्योंकि, न्यायालय जांच कर साक्ष्य एकत्रित नहीं कर सकता है जो विधि विरूद्ध है क्योंकि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रेवेन्यू रेकार्ड से प्रकरण सिद्ध करना है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का कथन विधि विरूद्ध होकर काबील निरस्ती के है। उक्त अपील का निर्णय विधिक बिन्दुओं एवं आधारों पर ही संभव है जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने इसे बखूबी रेवेन्यू रेकार्ड व दस्तावेज विक्रय पत्र से सिद्ध किया है जिन आधारों पर अपील अपीलाण्ट विधि विरूद्ध होने से काबील निरस्ती के है। अपील की चरण संख्या 4 अस्वीकार है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जाति से भील है जिसकी पुष्टि जाति प्रमाण पत्र से होती है ऐसी स्थिति में बिना आधार के अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट पर उक्त आरोप विधि विरूद्ध है एवं व्यक्ति की जाति कानूनन कभी नहीं बदलती है ऐसी स्थिति में उक्त अपील विधि विरूद्ध होकर निरस्ती के है। अपील की चरण संख्या 5 भी अस्वीकार होने का कथन किया। व्यक्ति की जाति कानूनन कभी भी नही बदलती है ऐसी स्थिति में उक्त अपील विधि विरूद्ध होकर काबील निरस्ती के है। अपील की चरण संख्या 6 भी अस्वीकार होने का कथन किया। व्यक्ति की जाति कानूनन कभी भी नही बदलती है। उक्त पंजीकृत दस्तावेज विक्रय पत्र न तो शून्य है न ही धारा 42 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विरूद्ध है क्योंकि जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है जिस आधार पर उक्त समस्त कार्यवाही की गई है जो विधि अनुकूल होने से अपीलान्ट की अपील विधि विरूद्ध है। अपील की चरण संख्या 7 अस्वीकार है। रजिस्टर्ड दस्तावेज विक्रय पत्र में कब्जा देने का उल्लेख है ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कब्जा विधि अनुकूल मानकर कानूनी प्रावधानों के तहत नामान्तकरण खोला गया है। जिसे इतने लंबे अंतराल बाद चैलेंज नही किया जा सकता है। अपील की चरण संख्या 8 अस्वीकार है। उक्त चरण में अपीलान्ट ने स्वतः ही स्वीकार किया है कि, ग्राम पंचायत सुरवानिया ने तहसीलदार बांसवाड़ा के अधिकारों का उपयोग कर नामान्तकरण किया है ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरकरण राजस्व व कानूनी नियमों के आधार पर विधि अनुकूल खोला गया है जिसमें राजस्व नियमों व कानून की कोई अवहेलना नही हुई है। अपील की चरण संख्या 9 कानूनी है। अपील की चरण संख्या 10 अस्वीकार है। उक्त अपील में पंजीकृत विक्रय पत्र को चैलेंज की है साथ ही कूटरचित दर्शाया है ऐसी स्थिति में अपील क्षैत्राधिकार के परे होकर काबिल निरस्ती के है। अपील की चरण संख्या 11 अस्वीकार है। अपीलान्ट के हक में न तो राजस्व रेकार्ड है, न ही अपील[illegible] कब्जा है, न ही अपीलान्ट लगान अदा कर रहा हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का पिछले 17 [illegible] कब्जा काश्त है अपीलान्ट का यह कथन कि अपीलान्ट को दिनांक [illegible] से पूर्व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम नामान्तकरण होने की जानकारी नही थी। दिनांक [illegible]09.2019 को उक्त नामान्तकरण की पहली बार जानकारी अपीलान्ट को तब हुई जब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्रीमती शालिनी ने कुछ

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.08.06 17:46:13 IST
Reason: SelfAttested

व्यक्तियों को साथ लाकर जबरन खेतों में आने की कोशिश की तथा विवाद किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट से यह कहा वह यानि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 खेतों की मालिक है और उसके नाम नामान्तकरण हो गया है, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट को यह भी कहा कि खेत छोडकर भाग जाओ नही तो कार्यवाही की जायेगी तभी अपीलान्ट को ज्ञात हुआ कि, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम अपीलान्ट की समस्त कृषि भूमि का नामान्तकरण हुआ है, अपीलान्ट ने दिनांक 17.09.2019 को तहसील कार्यालय में पहुंच कर उक्त नामान्तरकरण की नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा दिनांक 25.09.2019 को नकल प्राप्त हुई। नकल प्राप्ति की तिथि से अपील अन्दर मियाद है। उक्त समस्त कथन मनगढन्त, मिथ्या होने से अस्वीकार है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की निरन्तर व निर्विघ्न विक्रय पत्र दिनांक से कब्जा काश्त है जिसकी अपीलान्ट को जानकारी है किन्तु अपीलान्ट ने उक्त अपील बदनियती से पेश की है जिसकी कोई कानूनी आधार नही है एवं Everyday Delay का भी उक्त अपील में कोई उल्लेख नहीं है क्योंकि Delay की प्रतिदिन का वास्तविक सद्भावनापूर्ण व न्यायोचित आधार होना चाहिए जिसका उक्त अपील में उल्लेख नहीं है, मात्र जानकारी न होना लिख देने से अपील अंदर अवधि नहीं मानी जा सकती है एवं धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र बिना कानूनी आधारों व Delay का समुचित कारण न होने से Everyday Delay का स्पष्ट व विस्तृत विवरण न होने से कानूनन मेन्टेनेबल न होकर काबील निरस्ती के होने से उक्त अपील प्रारंभिक स्तर पर मियाद बाहर होने से व मेरिट पर कोई अपील में सुनवाई के आधार नही होने से अपील काबील निरस्ती के है। अपील की चरण संख्या 12 कानूनी है। अपील की चरण संख्या 13 अस्वीकार है। अपील में न तो अन्य कोई तथ्य है न ही विधि बिन्दु है ऐसी स्थिति में उक्त अपील स्वतः ही काबील निरस्ती है। अपील अपीलान्ट मय खर्चे–हर्जे के निरस्त कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को क्षतिपूर्ति दिलाई जावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने फर्द दसतावेज में फोटो प्रतियां दस्तावेज विक्रय पत्र दिनांक 16.07.2003, नामान्तरकरण संख्या 106 दिनांक 06.08.2003, जमाबन्दी संवत 2070–2073, खसरा गिरदावरी, नक्षा ट्रेस, जाति प्रमाण पत्र शालिनी, राशन कार्ड प्रार्थिया, परिचय पत्र प्रार्थिया आदि प्रस्तुत किये है, जो शामिल पत्रावली है।

पत्रावली में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस व मजीद बहस दिनांक 29.07.2021 को सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता श्री शाहबाज खान ने अपने कथन में बताया कि वरसेंग आदीवासी है तथा रेस्पोडेन्ट ईसाई है। जवाब में जाति उन्होने इसाई होना लिखा है जो धारा 43 काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन है। कब्जे के बारे में भी जवाब में कोई वर्णन नहीं किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि ईसाई कौन है, अथवा आदिवासी कौन है। प्रतिवादी लोक सेवक है तथा उसमे जाति क्रिश्चयन लिखा है। (Caste is by birth) जवाब में इन्होने जाति ईसाई लिखा है। अपील के पक्ष में दृष्टान्त पेश किया जिसमें Supreme Court of India के Criminal Appeal No 240 of 1997 decided on 28-1-2004 page no 568 प्रस्तुत कर नामान्तकरण निरस्त कराने निवेदन किया है। दृष्टान्त निम्न है :–

"Constitution (Scheduled Tribe) Order, 1950- Scheduled Caste & Schedule Tribe (Prevention of Atrocities) Act, 1989- Sec 3(1)(xi) Schedule Tribe-Merely because a member of Scheduled Tribe has changed the religion, does not cease to be member of the Tribe- If he continues to follow Tribal customs he may be treated as member of Schedule Tribe- However, if the member or his ancestors after conversion, have relinquished the old customs of Schedule Tribes, he may not be treated as member of Schedule Tribe – Matter remanded to trial Court."

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.08.06 17:46:13 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता श्री साजीद हुसैन ने अपने कथन में बताया कि दस्तावेज पंजीकृत है, वर्ष 2003 को उक्त भूमि हमारे को बेचा है। वर्ष 2003 में

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

म्यूटेशन खोला है। रजिस्ट्री गलत कराई ये बात नही, जाति गलत बताकर रजिस्ट्री कराई है। पंजीयन कार्यालय में जाति प्रमाण पत्र मांगने को ऐसा कोई प्रावधान नही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के सहयोग में जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, परिचय पत्र आदि भी पेश किये है। प्रकरण के पक्ष में निम्न दृष्टान्त पेश किया है :–

दृष्टान्त–1– 2006-07(Supp)RRT 292 BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN AJMER SHRI SANJAY DISIT : MEMBER Bega Ram v/s Madan Singh & Ors. दृष्टान्त में बताया कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 –धारा 135– रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में नामान्तकरण तस्दीक किया– विक्रय पत्र में कब्जा प्रदान करने का विवरण –कब्जे की जांच के लिये मामला प्रतिप्रेषित करना न्यायसंगत नहीं है– विक्रय पत्र को किसी न्यायालय के समक्ष आक्षेपित नहीं किया –निर्णीत, आदेश अपास्त किया तथा नामान्तरकरण की संपुष्टि की।

दृष्टान्त–2– SHRI M.L. JAIN : MEMBER Rama v/s Laxmi Narayan & ors.-(119) Appeal No 6/ Ajmer of 97 decided on 26th February, 2002- Rajasthan Land Revenue Act Section 135- Appeal against order Addl. Division Commissioner- Held disputed land was transferred by recorded khatedar under regd. Sale-deed mentioning the possession of the land-order of cancelation of mutation no 150 ia not justified- Order of Gram Panchyat as well as Addl. Div. Commr., set aside-Mutation orderd to be attested in favour of purchaser-appellant and entries be made in revenue record.

दृष्टान्त–3– RAJASTHAN HIGH COURT (JAIPUR BENCH) S.B. Civil Misc Appeal No. 1790 of 2004; decided on 17.12.2008 Jamila Bano v/s Rajasthan State Road Transport (a) Limitation Act 1963-Sec. 5 –Condonation of delay- Delay of 30 days in filing appeal- Conusel for the appellant committed mistake in calculating the limitation –Delay of one, two or three days can be understand – Delay of 30 days is no ground – No Sufficient cause explained –Held. Delay cannot be condoned. (क) परिसीमा अधिनियमए 1963–धारा 5 विलम्ब का माफ किया जाना–अपील पेश करने में 30 दिन का विलम्ब–अपीलाण्ट के वकील ने परिसीमा की गणना करने में गलती की–एक दो अथवा तीन दिन का विलम्ब समझा जा सकता है– 30 दिन का विलम्ब आधार नही है – पर्याप्त कारण स्पष्ट नही किया। निर्णित, विलम्ब माफ नही किया जा सकता।

अंतिम बहस समायत की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बहस में हाजीर नही हुआ।

पत्रावली में प्रस्तुत अपील, जवाब प्रस्तुत दस्तावेजात एवं दृष्टान्तों का गहन अध्ययन एवं उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तो पाया कि नामान्तकरण संख्या 106 दिनांक 06.08.2003 को विक्रय पत्र के निष्पादन दिनांक 16.07.2003 के बाद जांच व विधिक कार्यवाही कर समयावधि मे खोला गया है जो कानून एवं विधिसम्मत है। इतने लम्बे अंतराल अर्थात 17 वर्षो बाद नामान्तकरण की अपील मियाद बाहर होकर प्रथम दृष्टया काबील निरस्ती के पाता हुं।

आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अपीलाण्ट, रेस्पोडन्ट संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ताओं अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 106 दिनांक 06.08.2003 से ग्राम पंचायत–सुरवानिया द्वारा श्रीमती शालिनी के नाम नामान्तकरण किये जाने के आदेश के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है। आदेश सरे इजलास सुनाया जाता है ।

आदेश आज दिनांक 2[illegible].07.2021 को सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.08.06 17:46:13 IST
Reason: SelfAttested

(पर्वतसिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)